

अनुस्मारक
अति आवश्यक/समयबद्ध

प्रेषक,
निदेशक,
पशुपालन विभाग, उ०प्र०,
बादशाह बाग, लखनऊ।

सेवा में,

- 1- समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश (मु०प०चि०अ०, औरैया, बहराईच, मऊ को छोड़कर)।
- 2- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, मंडल, उत्तर प्रदेश।
- 3- परियोजना निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगाढ़, चंदौली।
- 4- संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, चकगंजरिया, लखनऊ / निबलेट, बाराबंकी / बाबूगाढ़, गाजियाबाद।
- 5- समस्त प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त गायनोकोलाजिस्ट, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7- उप निदेशक (रो०नि०)/उप निदेशक (लघु पशु)/उप निदेशक (इपीडी), मुख्यालय।
- 8- उप निदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
- 9- एनिमल न्यूट्रीशनिस्ट, पशु आहार परीक्षण प्रयोगशाला, बादशाह बाग, लखनऊ।
- 10- संयुक्त निदेशक (रो०नि०/कुक्कुट/सांख्यिकी), मुख्यालय।
- 11- परियोजना निदेशक (ए०वी०आर०वाई/आर०के०वी०वाई०), मुख्यालय।
- 12- अपर निदेशक (गोधन विकास) मुख्यालय।
- 13- अपर निदेशक (कुक्कुट), मुख्यालय।

पत्रांक | 028 / क०प्र०से०/विशे०समि०/2015-16

दिनांक- 28-3-2015

विषय- वर्ष 2015-16 हेतु विभिन्न योजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री/उपकरण/ संयन्त्र/ ग्लासवेयर्स/ औषधि/ विटामिन/ हार्मोन्स/वैक्सीन/केमिकल्स/रीएजेण्ट्स आदि का विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक पत्रांक 851 / क०प्र०से०/ विशे०समि०/2014-15 दिनांक-03.03.2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपसे अपने जनपद, संस्था तथा आपके अधीन संचालित की जाने वाली योजनाओं से सम्बन्धित वर्ष 2015-16 हेतु आवश्यक पशु औषधियों, हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उपकरण, संयन्त्र, सामग्री, ग्लासवेयर्स, केमिकल्स व रीएजेण्ट्स आदि का विवरण/मांगपत्र विशेषज्ञ समिति (2015-16) के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 15.03.2015 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु आपके स्तर से अभी तक उक्त सूचना प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अधीन संचालित की जाने वाली योजनाओं/संस्थाओं से सम्बन्धित वर्ष 2015-16 हेतु आवश्यक पशु औषधियों, हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उपकरण, संयन्त्र, सामग्री, ग्लासवेयर्स, केमिकल्स व रीएजेण्ट्स आदि का विवरण/मांगपत्र तत्काल, विलम्बतम् 02.04.2015 तक इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ताकि शीघ्र ही आहूत होने वाली विशेषज्ञ समिति की बैठक में संकलित मांग प्रस्तुत कर उनके गुणवत्ता का चयन एवं मात्रा के निर्धारण पर अनुमोदन प्राप्त

किया जा सके और विशेषज्ञ समिति से अनुमोदनोपरान्त उनके दर निर्धारण की कार्यवाही भी शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित की जा सके। ज्ञातव्य है कि दर निर्धारण की कार्यवाही प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम त्रैमास में पूर्ण किए जाने की अनिवार्यता है। अतः आप निर्धारित समयान्तर्गत सूचनाएं अवश्य प्रेषित करना सुनिश्चित करें। समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं कार्यालय ज्ञापनों को दृष्टिगत रखते हुए वांछित सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर भेजना सुनिश्चित किया जाय-

वर्ष 2015-16 हेतु आवश्यक पशु औषधियों, हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उपकरण, संयन्त्र, सामग्री, ग्लासवेयर, केमिकल्स व रीएजेण्ट्स आदि का विवरण-

प्रारूप-

जनपद-

क्र०सं०	योजना/संस्था जिसके उपयोगार्थ आवश्यकता है	औषधि/उपकरण/ सामग्री आदि का नाम	पूर्ण स्पेसिफिकेशन	आवश्यक मात्रा/ संख्या

हस्ताक्षर.....

मु०प०चि०अ०/योजना प्रभारी.....

(औषधि/सामग्री/उपकरण का जेनरिक नाम एवं पूर्ण स्पेसिफिकेशन दिया जाय। ब्राण्ड नाम से माँग न की जाय)''

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर बिना किसी विलम्ब के वांछित सूचनाएं समयान्तर्गत विलम्बतम दिनांक 02.04.2015 तक स्पीड पोस्ट/विशेष वाहक से इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
Ammv

(रुद्र प्रताप)
निदेशक।